

हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 जुलाई, 2015

संख्या सा0 का0 नि0 41/संवि0/अनु0 309/2014.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1990, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा वास्तुकला विभाग (वर्ग-ग) सेवा नियम, 1990 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
4	चालक	सीधी भर्ती द्वारा - (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;	पदोन्नति द्वारा - (i) मैट्रिक ; (ii) ड्रुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, रस्टोरर या गुप-घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा - (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए ; (iii) हल्का वाहन चालक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं हैं, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए :” ।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग।